न्यायालय लोकपाल मनरेगा, जिला–वैशाली

वाद सं0 – 09 में पारित आदेश की प्रतिलिपि

दिनांक 29-05-13

यह वाद श्री प्रेमचन्द्र सिंह, ग्राम–फतेहपुर बुजुर्ग, पो0– सहदेई बुजुर्ग , जिला– वैशाली के दिनांक 17.04.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है:–

ग्राम पंचायत चकजमाल की मनरेगा योजना 2011–12 की निजि जमीन में किये गये वृक्षारोपण में वनपोषक की मजदूरी नहीं दिये जाने के संबंध में था।

शिकायतकर्त्ता का यह भी कहना है कि पंचायत रोजगार सेवक बोले थे कि जॉब कार्ड बनाकर दे जायेंगे, लेकिन अभी तक जॉब कार्ड नहीं दिया गया है।

शिकायतकर्त्ता के शिकायत पत्र के संबंध में श्री रंजीत दास , पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत – चकलमाल से कारण पृच्छा की मांग की गयी। पंचायत रोजगार सेवक ने अपने कारण पृच्छा में बताया कि योजना संख्या 02/11–12 शिवचन्द्र सिंह, पिता– स्व0 बालेश्वर सिंह के निजि जमीन में वृक्षारोपण कार्य किया गया तथा योजना संख्या 03/11–12 प्रेमचन्द्र सिंह, पिता– स्व0 बालेश्वर के निजि जमीन में वृक्षारोपण किया गया। दिनांक 30.08.12 को मो0– 12840.00(बारह हजार आठ सौ चालीस) रूपया शिवचन्द्र सिंह, पिता– स्व0 बालेश्वर सिंह जॉब कार्ड संख्या 1869 खाता संख्या 10273753 पर भेज दिया गया है। योजना संख्या 03/11–12 में मजदूर नागेन्द्र सिंह, पिता– हरिनन्दन सिंह, जॉब कार्ड संख्या 1943, खाता संख्या 10274228 को मो0–12840.00 (बारह हजार आठ सौ चालीस) रूपया भुगतान किया जा चुका है।

पंचायत रोजगार सेवक के उक्त प्रतिवेदन पर शिकायतकर्त्ता प्रेमचन्द्र सिंह के भाई शिवचन्द्र सिंह ने लिखित शिकायत की है कि मेरे भाई के बागवानी में कोई आदमी कभी कार्य नहीं किये है। नागेन्द्र सिंह नाम का कोई आदमी कभी हमारे बगीचा में कार्य नहीं किया। दिनांक 20.05.13 को मेरे द्वारा योजनाओं की स्थल जाँच भी की गयी। मेरे साथ पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत चकजमाल, शिवचन्द्र सिंह तथा काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

मेरे स्थल निरीक्षण में पाया गया कि ग्रामीण, पंचायत रोजगार सेवक के प्रति काफी उत्तेजित थे। मेरे द्वारा काफी समझा बुझाकर शान्त किया गया। उनलोगों का कहना था कि योजना संख्या 03/11–12 में प्रेमचन्द्र सिंह के आलावा किसी मजदूर (वनपोषक) ने कभी काम नहीं किया है। वनपोषक की मजदूरी उन्हें मिलना चाहिए जिसकी शिकायत पूर्व में कार्यक्रम पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग से भी की जा चुकी थी।

पंचायत रोजगार सेवक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि योजना संख्या 03/11–12 प्रेमचन्द्र सिंह की निजि जमीन में वृक्षारोपण कार्य में नागेन्द्र सिंह को वनपोषक हेतु भुगतान किया गया है । जिसके बारे में प्रेमचन्द्र सिंह, उनके भाई शिवचन्द्र सिंह तथा ग्रमीण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त योजना में किसी दूसरे मजदूर (वनपोषक) ने कोई काम नहीं किया है। प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा की निजि जमीन पर किये गये वृक्षारोपण योजना में वनपोषक के रूप में जमीन मालिक को ही नियुक्ति किया जाना चाहिए थी। जिसकी मांग स्वयं जमीन मालिक श्री प्रेमचन्द्र सिंह ने की थी।

अतः योजना संख्या–03/11–12 में वनपोषक के भुगतान में अनियमित रूप से दुरूपयोग किया गया है।

अतः निदेश दिया जाता है कि पंचायत रोजगार सेवक श्री रंजीत दास, ग्राम पंचायत चकजमाल दुरूपयोग की गयी राशि 12840.00(बारह हजार आठ सौ चालीस) रूपया एक सप्ताह के अन्दर उप विकास आयुक्त के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग करेंगे। निर्णायक अवधि बीतने के पश्चात् अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे

इन्ही निष्कर्ष के साथ इस वाद का निष्पादन किया जाता है।

हस्ताक्षर

लोकपाल,मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक

प्रतिलिपिः श्री रंजीत दास, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत – चकजमाल, प्रखण्ड– सहदेई बुजुर्ग जिला– वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। कार्यक्रम पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग को सूचनार्थ एवं निदेश है कि पंचायत रोजगार सेवक को पत्र का तामिला कराते हुए उक्त राशि को कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

हस्ताक्षर

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक

प्रतिलिपिः श्री प्रेमचन्द्र सिंह एवं शिवचन्द्र सिंह, पिता– स्व0 बालेश्वर सिंह, ग्राम– फतेहपुर बुजुर्ग पो0– सहदेई बुजुर्ग जिला– वैशाली को सूचनार्थ।

हस्ताक्षर

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 601 /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 1-6-19

प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली/ उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ।

हस्ताक्षर

लोकपाल,
मनरेगा, वैशाली।